

9658
920715

2/8/95

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त, पटना ।

सं० सं०-आ० आ०/त०/८० ज०/१५-१६/
पटना, दिनांक ११-७-१५

लेवा में

हमिये

गंगा ज्योति
चोखरपा, फागों बोंक
चाणलपुल

प्रिय पणोदय,

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 83जी के अन्तर्गत छूट ।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 17-6-94

2.

गुणि जगत् - सौभाग्य, सान्त्व

को दिये दान का छूट आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 80 जो-
के अन्तर्गत दानकर्ता को उपलब्ध होगा या विहित सोपा तथा शर्तों
के अधीन होगा।

3.

यह छुट दिनांक 31-3-1998 तक मान्य होगा ।

४
॥ गणेशाय नमः ॥
आयकर आयुक्त, पटना ।

नोट:-

1. दानकर्ता को पारो किये गये रसोद में इस आदेश को संख्या तथा तारीख आवश्यक है।
2. आय तथा व्यय के लेखा का विवरण वार्षिक रूप से क्षेत्रीय आयकर अधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. यदि सीधे धान में किया प्रकार का संगोपन किया गया हो, तो संकल्प को एक प्रति/न्यास का संगोपित कागजात के साथ इसको सूचना इस कार्यालय को तुरंत को जानो चाहिए।
4. यदि पुनः कोई नवीकरण अपेक्षा हो तो आय तथा व्यय के विवरण के साथ इस कार्यालय को एक आवेदन दिया जाय।

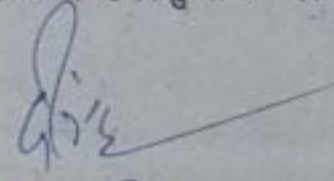
जापन सं० आ०आ/तक/अ०/१५-१६/२१२६-२८
पटना, दिनांक १८

प्रतिनिधि प्रेषित:-

१. उपर्युक्त आवेदक ।
२. सीप, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली
३. सभी आयकर आयुक्त/आयकर उपज आयुक्त पि०-१, ५८०१
४. बिहार प्रभार के सभी आयकर अधिकारो/सहायक आयकर आयुक्त को सूचना तथा
५. सहायक आयकर आयुक्त/आयकर अधिकारो पि०-१, आ०आ/तक
अनुरोध है कि वे वार्षिक विवरण के अनुसार जांच कर अपने को संतुष्ट कर लें जो कि ~~आयकर अधिकारो/सहायक आयुक्त~~ द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

कि यह धारा ८० जो § ५१ में निहित शर्तों को तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों को पूरा करता है ।
सूत्र के नष्टकरण हेतु प्राप्त बाद के आवेदन को उन्हें पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट के साथ आयकर उपायुक्त के माध्यम से भिजवा देना चाहिए ।




(~~आयकर अधिकारी, पटना~~)

आयकर अधिकारो, पु० तकनोको
कृते: आयकर आयुक्त, पटना ।

भारत सरकार
कार्यालय, आकर आयुक्त, पटना ।

संज्ञा: आ.आ./तक./12ए/95-96/
पटना, दिनांक 14.7.95

सेवा में,

राजिनी
जगन्नाथ जगत
दौलतपुरा, फाँसी, कोरा, भागलपुर

1. संस्था की स्थापना ट्रस्ट के दस्तावेज/संघ के दिनांक 5-1-1993 के ज्ञापन द्वारा की गई है । आकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(1) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु दाखिल दिनांक - 17-6-1994 - - का आवेदन विहित प्रपत्र में है तथा अनुष्ठान समय-सीमा में है/ समय-सीमा से - - - - - वर्ष - - - - - महीना बाक है । चूंकि ट्रस्ट/संस्था द्वारा पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदन के विलम्ब का पर्याप्त कारण था, इसलिए इसे विलम्ब से मुक्त कर दिया गया है/नहीं दिया गया है, इसलिए इसे अस्वीकृत किया गया है ।
2. आवेदन का अंजीकरण हो चुका है तथा धारा 12 ए(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में निवर्तित किये गये आवेदन सम्बन्धी रजिस्टर में वर्ष 95-96 के क्रम सं-22 में इसकी प्रविष्टि कर दी गई है ।

आकर आयुक्त, पटना ।

ज्ञापन सं: आ.आ./तक./12ए/95-96/2129-31
पटना, दिनांक 14.7.95

प्रति आप सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सहायक आकर आयुक्त/आकर अधिकारी ऑफिस-1, भागलपुर
2. आकर उपायुक्त, परिपत्र-1, परिपत्र-11, पटना तथा मुजफ्फरपुर परिपत्र, मुजफ्फरपुर ।
3. आवेदन ।



(हस्ताक्षर)
आकर आयुक्त, पटना

आकर अधिकारी, मुजफ्फरपुर (तकनीकी)
हस्ताक्षर :- आकर आयुक्त, पटना ।